



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या-500-अ.प्र.-04/पाकालि/2011-1-जी.ई.(छ)/80

दिनांक: फरवरी 14, 2011.

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2600-अ.प्र.-04/पाकालि/2010-1-जी.ई.(छ)/80 दिनांक 01.11.2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 2950-अ.प्र.-04/पाकालि/2010-1-जी.ई.(छ)/80 दिनांक 29.12.2010 के अनुक्रम में, निवर्तन वय प्राप्त होने पर अधोनामित प्रोन्नत सहायक अभियन्ता उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि. की सेवाओं से उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को सेवानिवृत्त होंगे :-

क्रम सं०	सहायक अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	अभिज्ञान संख्या	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	मदन गोपाल रोहिला	2010221	04.04.1951	30.04.2011
2	शंकर लाल	2010231	05.05.1951	31.05.2011
3	आत्मा प्रसाद श्रीवास्तव	2010170	19.05.1951	31.05.2011
4	प्रवीन चन्द्र जैन	2010248	02.06.1951	30.06.2011
5	राकेश चन्द्र मिश्र	2010240	07.06.1951	30.06.2011
6	जगन्नाथ प्रसाद	2005191	01.07.1951	30.06.2011
7	शाहवाज मोहम्मद मलिक	2010174	10.07.1951	31.07.2011
8.	सुरेन्द्र कुमार तिवारी	2010180	03.08.1951	31.08.2011
9	युगल किशोर चित्रांशी	2010224	10.09.1951	30.09.2011
10	राधेश्याम	2010171	25.12.1951	31.12.2011
11	कृष्णानन्द मिश्र	2010335	01.01.1952	31.12.2011
12	सगीर हसन	2010223	10.01.1952	31.01.2012
13	ओंकार राय	2010167	15.01.1952	31.01.2012
14	मोहम्मद जकी (जानपद)	201009	15.01.1952	31.01.2012
15	राम केवल प्रसाद	2010334	10.03.1952	31.03.2012

ये आदेश उक्त नव प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही प्रभावी होंगे।

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को स्तम्भ-5 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता वय प्राप्त कर चुके सहायक अभियन्ता का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये, नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जाये। साथ ही साथ, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है, तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं अधिकारी की विधिक जिम्मेदारी होगी।

निदेशक (का.प्र.एवं प्रशासन)

संख्या: 500(1)अ.प्र.-04/पाकालि/2010 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि, 4-ए गोखले मार्ग, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि, विद्युत भवन, गैलाना रोड, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि, पो० डी०एल०डब्लू०, वाराणसी।
6. मुख्य अभियन्ता (वितरण), झांसी/लखनऊ/वाराणसी/कानपुर/गाजियाबाद/इलाहाबाद/गोरखपुर/लेसा/फैजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को तामील कराना सुनिश्चित करें।

कमांक-2/- पर

7. मुख्य अभियन्ता (पारेषण-मध्य), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि., लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण-द्वितीय, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि., लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल/नगरीय विद्युत वितरण मण्डल, सीतापुर/फैजाबाद/इटावा/मऊ/मुजफ्फरनगर/बरती/फैजाबाद।
10. संयुक्त सचिव (मुख्यालय), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत कार्य खण्ड, झांसी।
12. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ.प्र.पा.का.लि., कक्ष सं० 401, शक्ति भवन, लखनऊ को वेब साइट पर प्रदर्शन हेतु।
13. लेखाधिकारी (जीपीएफ)/ (पेन्शन)/ (महास्तर)/ (वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. संयुक्त सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही), उ.प्र.पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जांच इत्यादि, यदि कोई हो, को यथासमय पूर्णतः निर्णीत कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें, जिससे कि अधिकारियों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।
15. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/सूचना पट/कम्प्यूटर इकाई, उपप्रपाकालि शक्ति भवन, लखनऊ।

नोट— सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं से अपेक्षा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने निवास स्थान का पूरा पता (नाम, अभिज्ञान संख्या, मकान नम्बर, गली, मोहल्ला, शहर, जिला, पिन कोड नम्बर आदि) पत्राचार हेतु कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से
(बी०बी०श्रीवास्तव)
उप सचिव